

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर- केट,
इंदौर-452013

संख्या-14/05/2020-सामा/ 725-736

जून 15, 2021

विषय : कोरोना संक्रमण को नियमित करने हेतु प्रभावशील विभिन्न प्रतिबंधों में शिथिलता बाबद ।

उपर्युक्त विषय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इंदौर के दिनांक 11/06/2021 के आदेश संख्या - 2663 /रीएडीएम/ 2021 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है.

अ) उपर्युक्त आदेश के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी :-

- 1) प्रत्येक रविवार को "जनता-कर्फ्यू" रहेगा ।
- 2) रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक "नाईट-कर्फ्यू" रहेगा ।
- 3) रूल ऑफ़ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.

ब) निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी :-


1. नाई एवं पार्लर 50% क्षमता के साथ दो गज दूरी बनाए रखते हुए दुकान के अंदर फिजिकल रूप से / वेटिंग के रूप में बैठना प्रतिबंधित रहेगा ।
2. फल-सब्जी की स्थाई दुकानें खुलेगी ।
3. सम्पूर्ण गतिविधियाँ सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 से लेकर रात्री 06:00 बजे तक संचालित हो सकेंगी

स) कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन :-

1. नो मास्क नो सर्विस ।
2. कार्यक्षेत्र में भी सही तरह से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग तथा हैण्डवॉश/सेनेटाईजेशन का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कडाई से करें ।

आप सभी से सहयोग की अपेक्षा ।


(डी.सी.मीना)

प्रशासनिक अधिकारी-॥

मेल-ऑल के माध्यम से आरआरकेट के सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं आवासीय कालोनी के निवासी